

Building-Plan Approval + Occupancy / Completion Certificate

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

भवन-योजना (सैंक्शन) आवेदन और अधिभोग/समापन प्रमाणपत्र (OC/CC) — स्थानीय विकास-नियंत्रण उपनियमों (FSI/FAR, सेटबैक, ऊँचाई, पार्किंग, भू-आच्छादन) को भूखंड व ड्राइंग से मिलाकर, और NOC व दस्तावेज़ जुटाकर — नगरपालिका/नियोजन प्राधिकरण हेतु यह टूल तैयार करता है, ताकि निर्माण व अधिभोग कानूनी हो।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

भवन-योजना अनुमोदन व अधिभोग/समापन प्रमाणपत्र आवेदन — उपनियम-अनुपालन व ड्राइंग/दस्तावेज़-सेट सहित — तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

उपनियम-मानचित्रित ड्राइंग (FSI/FAR, सेटबैक, ऊँचाई, पार्किंग, भू-आच्छादन) व NOC/दस्तावेज़-सेट का उपयोग भवन-योजना सैंक्शन आवेदन दाखिल करने, और समापन पर अधिभोग/समापन प्रमाणपत्र आवेदन नगरपालिका/नियोजन प्राधिकरण को करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

भवन-योजना स्वीकृत करने व अधिभोग/समापन प्रमाणपत्र जारी करने वाली नगर निगम / विकास या नगर-नियोजन प्राधिकरण।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

नगरपालिका/नियोजन पोर्टल पर स्वीकृत-वास्तुकार ड्राइंग, शीर्षक व NOC (अग्नि, पर्यावरण, हवाई-अड्डा आदि यथालागू) सहित आवेदन करें; सैंक्शन अनुसार निर्माण करें, फिर समापन-निरीक्षण के बाद OC/CC हेतु आवेदन करें।

शुल्क और खर्च

जाँच/सैंक्शन शुल्क, विकास/बेहतरी शुल्क व श्रम-cess प्राधिकरण द्वारा निर्मित-क्षेत्र पर निर्धारित ; ड्राइंग हेतु वास्तुकार/सलाहकार शुल्क।

इसकी जाँच किससे कराएँ

लाइसेंसी वास्तुकार / संरचनात्मक इंजीनियर — उपनियम-अनुपालक ड्राइंग बनाने, NOC लेने, और सैंक्शन व OC पाने के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

स्वीकृत योजना से अधिक निर्माण या OC/CC बिना अधिभोग अवैध, ध्वस्तीकरण/दंड लाता व पुनर्विक्रय व ऋण रोकता; FSI/FAR व उपनियम शहर व ज़ोन अनुसार भिन्न। वर्तमान उपनियम सत्यापित करें व ड्राइंग वास्तुकार से प्रमाणित कराएँ।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी वाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।